उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यूपीसीडा
ए–1/4, लखनपुर, पोस्ट बाक्स नं0– 1050, कानपुर–208024
दूरभाष : 0512–2582851–53 (PBX)
वेबसाइट : www upsidc.com
ई–मेल : md@upsidc.com

सन्दर्भ संख्या 2382 /यूपीसीडा/औ0क्षे0/ पॉलिसी वॉल्यू 21-17 दिनांक 17/12/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की दिनॉक 02.12.2021 को आहूत 39वीं बैठक में औद्योगिक विकास क्षेत्रों के औद्योगिक/संस्थानिक भूखण्डों में मल्टीपल परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूखण्ड अथवा भूखण्ड के भू–भाग को किराये पर उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में प्राधिकरण की वर्तमान प्रचलित आपरेटिंग मैनुअल–2011 के प्रस्तर 9.02 में किरायेदारी सम्बन्धी प्रावधानों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

1. प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक/संस्थानिक भूखण्डों के आवंटियों द्वारा भूखण्ड अथवा भूखण्ड के भू–भाग की किरायेदारी अनुमन्य होगी। ऐसे प्रस्ताव औद्योगिक क्षेत्रों में किरायेदारी सम्बन्धी आपरेटिंग मैन्यूअल–2011 के प्रस्तर 9.01 में इंगित प्रकिया के अनुपालन पर ही अनुमन्य होगें।
2. प्राधिकरण के औद्योगिक/संस्थानिक भूखण्डों के आवंटियों को डेडीकेटेड एनसिलरी इकाईयों के अतिरिक्त उपरोक्त किरायेदारी की सुविधा आवंटी की सहायक कम्पनियों/इकाईयों (जिनमें आवंटी कम्पनी/सोसाईटी/ट्रस्ट की 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशधारिता हो) प्राधिकरण के भूमि विकास एवं भवन विनियमन–2018 में मूल भूखण्ड के परिसरीय उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य गतिविधियों हेतु अनुमन्य होगी।
3. प्राधिकरण के समस्त औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक/संस्थानिक भूखण्डों में अनुमन्य किए गए किरायेदारी प्रस्तावों पर किरायेदारी अवधि में आपरेटिंग मैनुअल–2011 के अध्याय–9 के अनुसार निर्धारित वार्षिक किराया शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा प्रतिवर्ष अग्रिम रूप में एक मुश्त किया जायेगा। आवंटी द्वारा किराया अनुबन्ध समाप्त किए जाने की नोटिस प्राधिकरण को दिए जाने की तिथि पर उस माह के अन्त तक प्रभावी वार्षिक शुल्क के 1/12 प्रतिमाह लेते हुए अवशेष धनराशि नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि में बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
4. प्राधिकरण में प्रचलित आपरेटिंग मैनुअल–2011 के अध्याय–9 में प्रभावी किरायेदारी सम्बन्धी नीति के अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 2382 /यूपीसीडा/औ0क्षे0/ पॉ0नि0 व0न्यू0-17 दिनांक 17/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर/एन), यूपीसीडा, कानपुर।
2. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, यूपीसीडा
4. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि कार्यालय आदेश को प्राधिकरण/निवेश मित्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।
6. यूपीसीडा आपरेटिंग मैनुअल—2011 में यथास्थान प्रतिस्थापित किये जाने के निर्देश के साथ सम्बन्धित समिति।
7. गार्ड फाईल/सम्बन्धित पत्रावली।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी